संख्या-45/2017/683/सैंतीस-2-2017-1(43)/02

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/प्रक्षेत्र प्रबन्धक,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-14 जून, 2017

विषयः- **सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान अवधि हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-15/प0-1/9ख/सूकर प्रक्षेत्र/2017-18, दिनांक-24.04.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जि.यो.) के निम्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार लेखानुदान अवधि हेतु रू0-40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
02-मजदूरी	6.00
29-अनुरक्षण	16.00
39-औषधि तथा रसायन	2.35
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	1.20
42-अन्य व्यय	2.75
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	11.70
योग-	**40.00**

(रूपये चालीस लाख मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि का समायोजन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना के परिव्यय में करा लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
6. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
7. मानक मद 29-अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से आगणन अनुमोदित कराने के उपरान्त ही किया जाय।
8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
9. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जि.यो.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-45/2017/683(1)/सैंतीस-2-2017- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), महानगर, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-45/2017/683/सैंतीस-2-2017-1(43)/02, दिनांक-14 जून, 2017 का संलग्नक:-

सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट)

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मानक मद						योग
		02- मजदूरी	29- अनुरक्षण	39- औषधि तथा रसायन	40- औषधालय संबंधी आवश्यक सज्जा	42- अन्य व्यय	43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सम्भागीय सूकर प्रजनन केन्द्र, सी.डी.एफ. अलीगढ हेतु	1.00	3.00	0.40	0.20	0.50	2.50	7.60
2	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, सैदपुर-ललितपुर (सूकर प्रजनन केन्द्र हेतु)	1.00	2.50	0.40	0.20	0.40	2.00	6.50
3	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र, आराजीलाइन्स, वाराणसी हेतु	1.00	3.00	0.40	0.20	0.50	2.00	7.10
4	परियोजना निदेशक, वृहद भेड प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ, चन्दौली (सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र हेतु)	1.00	1.50	0.35	0.20	0.35	0.70	4.10
5	राजकीय सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र, निबलेट, बाराबंकी (सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र हेतु)	1.00	3.00	0.40	0.20	0.50	2.00	7.10
6	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, नीलगांव, सीतापुर (सूकर प्रजनन केन्द्र हेतु)	1.00	3.00	0.40	0.20	0.50	2.50	7.60
योग-		**6.00**	**16.00**	**2.35**	**1.20**	**2.75**	**11.70**	**40.00**

(रूपये चालीस लाख मात्र)

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in